



2026:AHC:56457

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9412 सन् 2026

रतिपाल सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : अंकुश शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, पंकज कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुश शर्मा द्वारा की गयी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य-विपक्षीगण की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक रतिपाल सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 954 सन् 2025, धारा 109(1), 191(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में जमानत पर विस्तार दिये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. संक्षेपतः, प्राथमिकी में अन्तर्विष्ट अभिकथन के अनुसार आवेदक सहित चार

अभियुक्त व्यक्तियों ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर घायल कमल को कठोर एवं भोंथरे हथियार से चोट पहुँचाई।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियुक्त-आवेदक ने प्राथमिकी में अभिकथित कोई भी अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 15.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है, किन्तु घायल कमल को चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में आवेदक की कोई विशिष्ट एवं पृथक् भूमिका न तो प्राथमिकी में और न ही घायल के बयान में निर्धारित की गई है, तथा समस्त अभियुक्त व्यक्तियों की सामान्य एवं सामूहिक भूमिका ही बताई गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी में घायल कमल को चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार देशी तमंचा, लोहे की छड़ एवं चाकू बताये गये हैं, जबकि घायल कमल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने बयान में कहा है कि समस्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे कठोर एवं भोंथरे हथियार (लाठी-डण्डा) तथा लोहे की छड़ (सरिया) से मारा। यह भी तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या के अनुसार घायल को सात चोटें आईं जिनमें घायल के जीवन के लिए अनावश्यक अंग पर छिदे हुए घाव सम्मिलित हैं, किन्तु चिकित्सीय आख्या/एक्स-रे आख्या में कोई अस्थि-भंग आदि अंकित नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। यह निवेदन है कि विचारण की समाप्ति में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की दशा में उसके न्याय से फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़-छाड़ की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का यह निवेदन करते हुए विरोध किया है कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी अनुग्रह का अधिकारी नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के जमानत पर रिहा होने की दशा में वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतन्त्रता का

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुरुपयोग कर सकता है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार

इस मामले में दिनांक 23.02.2026 को अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

7. उपर्युक्त पक्षकारों के निवेदनों पर विचार करने के उपरान्त तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यद्यपि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है, किन्तु घायल कमल को चोट पहुँचाने के सम्बन्ध में न तो प्राथमिकी में और न ही घायल के बयान में आवेदक की कोई विशिष्ट एवं पृथक भूमिका निर्धारित की गई है और समस्त अभियुक्त व्यक्तियों की सामान्य एवं सामूहिक भूमिका ही बताई गई है; प्राथमिकी में घायल कमल को चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार देशी तमंचा, लोहे की छड़ एवं चाकू बताये गये हैं, जबकि घायल कमल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने बयान में कहा है कि समस्त अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे कठोर एवं भोंथरे हथियार (लाठी-डण्डा) तथा लोहे की छड़ (सरिया) से मारा; अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या के अनुसार घायल को सात चोटें आईं जिनमें घायल के जीवन के लिए अनावश्यक अंग पर छिदे हुए घाव सम्मिलित हैं किन्तु चिकित्सीय आख्या/एक्स-रे आख्या में कोई अस्थि-भंग आदि अंकित नहीं किया गया; अभियोग-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अभियोजन साक्षियों को डराने-धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित सम्भावना नहीं है; आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है; विचारण के निष्कर्ष की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए; **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677** में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 53 में प्रतिपादित सिद्धान्त, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** तथा **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए; और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, उक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के साथ सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलके एवं दो जमानतदारों, प्रत्येक समान धनराशि में, पर जमानत पर रिहा किया जाये:—

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़-छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकी देगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित उन तिथियों पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) मामले के प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन और (iii) अभियुक्त का उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु कथन अभिलिखित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कठोरतापूर्वक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।
8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. मुचलके स्वीकार किये जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान एवं निवास का सत्यापन किया जाये।

19 मार्च, 2026

आरए

(माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।